

यू0 हैल्थ योजना के तहत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. उत्तराखण्ड राज्य के इच्छुक राजकीय कर्मचारी/पेंशनर्स योजना के अन्तर्गत सम्मिलित होने हेतु योजना के विकल्प पत्र (1 एवं 2) संबंधित जनपद के सी0एम0ओ0 कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट www.ukhfws.org एवं महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, देहरादून के अधीन गठित यू0 हेल्थ प्रकोष्ठ के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. योजना के विकल्प पत्रों को पूर्ण रूप से भरकर राजकीय कर्मचारी संबंधित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी एवं पेंशनर्स संबंधित कोषाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर, पता:— राज्य नोडल अधिकारी, यू0 हेल्थ योजना ,कमरा नं0 43—A महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्राम—डाण्डा लखौण्ड, पो0—गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, 248001 को स्वयं/रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करें।
3. आश्रितों हेतु स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
4. चालान की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
5. पे—स्लिप (राजकीय कर्मचारी) एवं पेंशन स्लिप (राजकीय पेंशनर्स) की प्रति।
6. आई0डी0प्रूफ:—राशन कार्ड/पेन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाइसेंस/ वोटर आई0डी0 की छायाप्रति (स्वयं एवं आश्रित)।
7. स्वयं व आश्रितों की पासपोर्ट साईज फोटो (2सेट)।
8. स्वपता अंकित किया लिफाफा टिकट (रू0 40—50) सहित।

नोट:— कृपया उक्त दस्तावेजों को फाइल के साथ क्रमानुसार संलग्न कर यू0 हेल्थ प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।